न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **112/2024**
GCMS NO. : 2024/211

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. कमला देवी पत्नी बाबूलाल 2. भगवती पत्नी माणकचन्द जातियान– सुथार, निवासीगण– आगेवा, तहसील– जैतारण, जिला ब्यावर, राज0।		1. अमराराम पुत्र शंकरलाल जाति– सुथार, निवासी– आगेवा, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर। 2. तहसीलदार, जैतारण, भूमिधारी, राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 28/05/2024

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री बृजेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉंकः– 31/07/2024**

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 164/1 रकबा 1.0522 हैक्टेयर की सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण में आई हुई है तथा इसी प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 अमराराम की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 164/2 रकबा 0.3885 हैक्टयर सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 मे आई हुई है। नकल चालु जमाबन्दीयां व राजस्व नक्शे की प्रमाणित प्रतियां इस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं सयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि पूर्व मे खसरा नम्बर 164 था और राज्य सरकार द्वारा राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय उपरोक्त मूल खसरा नम्बर को तरमीम कर प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे राजस्व नक्शे मे दर्शाया गया जो गलत तरमीम है क्योकि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा जो मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 शुरु से ही काबिज है व अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है उस अनुरूप तरमीम नही की गई भूमि की उक्त भूमि को मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 काबिज है और जो नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है उससे विपरित तरमीम कर दी गई जो गलत है। जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

समक्ष सादर पेश है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुति नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थीगण के हक हिस्से व मौके पर काबिज अनुसार खसरा नम्बर 164 व 164/1 को हरे रंग से दर्शाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अमराराम मौके पर शुरू से ही काबिज अनुसार उसके हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 164/2 जिसे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है के अनुसार तरमीम किया जाना चाहिये था परन्तु सहवन व लेखकिय भूल से प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त के विपरित व बिना प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की सहमति एवं स्वीकारोक्ति से गलत तरमीम कर अ०नलाईन करते समय रोंग एन्ट्री कर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया गया जिसे प्रार्थीगण मौके पर पक्षकारान् काबिज है व नजरी नक्शे अनुसार उक्त लेखकिय व सदभाविक भूल को दुरूस्त करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् तरमीम दुरूस्ती हेतु श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 10/04/2024 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब प्रथम बार प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उनके हक हिस्से की भूमि को मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शा देस मे तरमीम नही कर गलत तरमीम कर दी गई है तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मौका स्थिति के अनुरूप एवं प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रथम अनुसार राजस्व नक्शा देस मे तरमीम करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण इन्कार हो गये एवं राजस्व नक्शा मे की गई गलत तरमीम का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को खूर्द बुर्द करने एवं परिवर्तन करने तथा रहन बेचान हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकीया दी यदि अप्रार्थीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं प्रार्थीगण अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे तब प्रार्थीगण ने दिनांक 16/04/2024 को एक लिखित प्रार्थनापत्र राजस्व नक्शा ट्रेस मे गलत तरमीम को दुरूस्त करने हेतू अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रस्तुत किया तो उन्होने मौके पर विवाद होने से सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के बाद ही राजस्व नक्शे को दुरूस्त करने का कथन किया इसलिए राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि की गलत की गई तरमीम को दुरूस्त कर नये सिरे से सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड का अवलोकन कर पुनः नये सिरे से प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि का राजस्व नक्शा मे तरमीम करने का आदेश देने बाबत् यह [illegible] विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। उक्त आराजी ग्राम आगेवा [illegible] प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय [illegible] उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। उक्त आराजी ग्राम आगेवा [illegible]स्थित होने एवं प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शे का अवलोकन करने पर प्रथम बार दिनांक 10/04/2024 को जानकारी होने पर यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो शा.मि. है। अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब प्रार्थनापत्र. में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जबाब है कि जबाब देहन्दा की खातेदारी हक अधिकार एंव कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नमबर 164/2 रकबा 8085 हैक्टयर सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा तहसील जैतारण में आई हुई है जिसका जबाब देहन्दा रिक०र्डेड खातेदार काश्तकार हैं इसी प्रकार प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 0.7284 हैक्टयर व खसरा नमबर 164/1 रकबा 1.0522 हैक्टयर सरहद मौजा आगेवा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. मे आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयो से साबित है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या दो का जबाब है कि जबाब देहन्दा एवं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि जो पूर्व में खसरा नम्बर 164 था और राज्य सरकार द्वारा राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते हुए उक्त मूल खसरा नम्बर 164 को तरमीम कर जबाब प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 में वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शे मे दर्शाया गया जो गलत तरमीम है जो मौका पर प्रार्थीगण एवं जबाब देहन्दा जिस अनुरुप काबिज है उस अनुरूप नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शा मे इन्द्राज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थनापत्र के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं जबाब देहन्दा मौके पर काबिज होकर अपने अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है इसलिए प्रार्थीगण ने इस प्रार्थनापत्र मे जो अनुतोष चाहा है वो सही है जिसमें जबाब देहन्दा को कोई आप्पति ऐतराज नहीं है एवं उपरोक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शा को दुरुस्त किया जावे जिसमे जबाब देहन्दा की पूर्ण सहमति व स्वीकारोक्ति है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या तीन का जवाब है कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार जो हरे रंग का भू भाग है वहां पर प्रार्थीगण काबिज होकर अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है और लालरंग का भू भाग जो जबाब देहन्दा का है इसी लाल रंग के भू भाग पर जबाब देहन्दा शुरू से ही काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है यह बात यही है कि सहवन व लेखकीय भूल से प्रार्थीगण व जबाब देहन्दा जिस अनुरूप काबिज है जिसका नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया [illegible] अनुरुप राजस्व रेकर्ड में ऑनलाईन करते समय रोंग एन्ट्री [illegible] किया गया जो सदभाविक भूल होने से दुरुस्त किया जावे [illegible] कोई आप्पति एतराज नहीं है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार का जवाब है कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों राजस्व रेकर्ड एवं प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे की जानकारी जबाब देहन्दा को होने पर यह स्पष्ट रूप से सही है कि मौके पर प्रार्थीगण एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 16:38:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

जबाब देहन्दा जिस अनुरूप काबिज है उस अनुरूप ऑनलाईन करते समय लेखकीय भूल से गलत तरमीम किया गया जबकि वास्तविक रूप से पक्षकारान् जिस अनुरूप काबिज है उसका नजरी नक्शा इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश किया गया है जो सही है और इसी अनुरूप तरमीम दुरूस्त किया जावें जिसमे जबाब देहन्दा को कोई आप्पति ऐतराज नहीं है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार व उसके साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थनापत्र मे वर्णित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि का राजस्व जमाबन्दी व राजस्व नक्शा मे तरमीम दुरुस्त कर इन्द्राज किया जावें। वास्तव मे प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरीन क्शा अनुसार ही प्रार्थीगण व जबाब देहन्दा मौके पर काबिज होकर अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावें उसमे जबाब देहन्दा को कोई आप्पति एतराज नही है।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली मय दस्तावेजात, जवाब प्रार्थनापत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि राजस्व मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला ब्यावर में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त तथा हक अधिकार की कृषि भूमि 164 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 164/1 रकबा 1.0522 हैक्टेयर आई हुई है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण संख्या एक अमराराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 164/2 रकबा 0.3885 हैक्टेयर सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा में आई हुई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि पूर्व में खसरा नम्बर 164 था और राज्य सरकार द्वारा राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय उपरोक्त मूल खसरा नम्बर का तरमीम करते समय प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में राजस्व नक्शे में दर्शाया गया जो गलत तरमीम है क्योंकि मौके पर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी मौके पर शुरू से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के भू राजस्व अभिलेख [illegible] मौके पर कब्जे काश्त खातेदार के विपरीत तरमीम को दुरुस्त [illegible] गई है।

2. अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब प्रार्थनापत्र [illegible] उसमें कथन किया है कि जवाब देहन्दा एवं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि जो पूर्व में खसरा नम्बर 164 था और राज्य सरकार द्वारा रेकर्ड को ऑनलाईन करते हुए उक्त मूल खसरा नम्बर 164

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:19 IST
Reason: SelfAttested

को तरमीम करते समय प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम न कर गलत तरमीम कर दिया है। जवाब प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी मौके पर काबिज होकर अपने अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इसलिए प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण ने जो अनुतोष चाहा है वो सही है तथा उपरोक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शा को दुरूस्त किया जावे तो इसमें जवाब देहन्दा की पूर्ण सहमति व स्वीकारोक्ति है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा 164, 164/1 में प्रार्थीगण तथा खसरा नम्बर 164/2 में अप्रार्थी मौके पर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार कब्जे काश्त होकर अपने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन भू राजस्व रेकर्ड में मौके व कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम हो रखा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रा0पत्र एवं अप्रार्थी के जवाब प्रा0पत्र में किये गए कथनों से एवं अप्रार्थी के सहमति व स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी की वादग्रस्त आराजी का नाप-चौंप व सीमाज्ञान न होने एवं भूमि के मानचित्र को दुरूस्त नहीं किये जाने से विवाद की स्थिति सम्भव है।

अतः हम हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी जिसमें प्रार्थीगण खसरा नम्बर 164 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 164/1 रकबा 1.0522 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं अप्रार्थी खसरा नम्बर 164/2 रकबा 0.3885 हैक्टेयर के रेकॉर्डेड खातेदार है तथा मौके पर कब्जा काश्त है लेकिन परन्तु राजस्व नक्शा लठ्ठा में जो तरमीम की गई हैं वह मौके पर कब्जा काश्त खातेदार के अनुसार विपरीत होने से भू राजस्व अभिलेख में उक्त खसरान् की कृषि भूमि की तरमीम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अन्तर्गत भू-नक्शा में शुद्ध एवं मौके व कब्जे अनुसार किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111 एवं 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व ग्राम आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 0.7284 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 164/1 रकबा 1.0522 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

01 की आराजी खसरा नम्बर 164/2 रकबा 0.3885 हैक्टेयर की आराजी का इनके रकबे अनुसार भू राजस्व अभिलेख में भू-नक्शा को अद्यतन करते हुए उक्त खसरान की तरमीम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत भू-नक्शा में शुद्ध मौके व कब्जे अनुसार किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 31/07/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:19 IST
Reason: SelfAttested